मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/12/2021

क्र एफ 16-35/2021/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स प्रतिभा स्वराज प्रायवेट लिमिटेड (100% सब्सिडरी ऑफ प्रतिभा सिन्टेक्स लिमि.) द्वारा इन्दौर-उज्जैन रोड, जिला उज्जैन में रूपये 40.51 करोड के प्रस्तावित स्थाई पूंजी निवेश से गारमेंट्स निर्माण इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये -

1. **ब्याज अनुदान** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत परिधान निर्माण क्षेत्र की इकाईयों को प्रावधानित ब्याज अनुदान सुविधा का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाये।
2. **निवेश प्रोत्साहन सहायता**- उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाये।
3. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - कम्पनी द्वारा परियोजना अन्तर्गत नियोजित किये गये मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रति नवीन कर्मचारी के प्रशिक्षण हेतु रूपये 13000 की सहायता 7 वर्षों के लिये शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।
4. **रोजगार सृजन अनुदान**- वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से प्रथम 08 वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन पुरूष कर्मचारियों को रूपये 5000 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह एवं समस्त नवीन महिला कर्मचारियों को रूपये 6000 प्रति कर्मचारी प्रतिमाह 7 वर्षों हेतु शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ होने की दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी (इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से शेष 2 वर्षों हेतु रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी)।
5. **विद्युत शुल्क पर छूट** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत परिधान निर्माण इकाईयों को प्रावधानित विद्युत शुल्क से छूट संबंधी सहायता शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।
6. **विद्युत टैरिफ में रियायत**- परियोजना अन्तर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु प्रचलित विद्युत टैरिफ में रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

7. **भूमि की प्रब्याजी पर रियायत** - कम्पनी द्वारा आवेदित इन्दौर-उज्जैन रोड स्थित ग्राम कराडिया उर्फ नवाखेडा, तहसील एवं जिला उज्जैन में एमपीआईडीसी के आधिपत्य की अविकसित भूमि के आवंटन पर प्रचलित प्रब्याजी पर 75% की छूट प्रदान की जाये।

8. **अविकसित भूमि का आवंटन** - मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 की कंडिका क्रमांक 4(4) में उल्लेखित अविकसित भूमि का आवंटन केवल वृहद औद्योगिक इकाईयों को किये जाने संबंधी शर्त को शिथिल करते हुये इस परियोजना के लिये इन्दौर-उज्जैन रोड स्थित ग्राम कराडिया उर्फ नवाखेडा, तहसील एवं जिला उज्जैन में एमपीआईडीसी के आधिपत्य की आवेदित अविकसित भूमि का आवंटन किया जाये।

9. **वाणिज्यिक उत्पादन हेतु समयावधि में वृद्धि** - परियोजना को उपरोक्तानुसार स्वीकृत विशिष्ट सुविधाओं का लाभ प्रतिबद्ध निवेश के साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर प्राप्त हो सकेगा।

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-35/2021/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 14 /12/2021

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला उज्जैन।
5. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स प्रतिभा स्वराज प्रायवेट लिमिटेड (100% सब्सिडरी ऑफ प्रतिभा सिन्टेक्स लिमि.) 701A & 701B NRK Business Park, Scheme No. 54 Vijay Nagar, Indore - 452010।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग